न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : **473/2016**

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

1. महिपालसिंह पुत्र रघुनाथसिंह जाति-राजपूत, निवासी-आसरलाई तहसील-जैतारण जिला-पाली

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जैतारण तहसील-जैतारण जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजू:.12/07/2016**

उपस्थितः- 1. श्री महावीरसिंह उदावत, अधिवक्ता, वादीगण।
2. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 15/8/2018**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-आसरलाई, पटवार हल्का-आसरलाई, तहसील-जैतारण में कृषि आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 13-13 बीघा एवं खसरा नम्बर 163 रकबा 13-03 बीघा, कुल किता-2 कुल रकबा 26-16 बीघा वादी की पैतृक पुश्तैनी पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त की आई हुई हैं। जिसके वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जिसे वाद पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उक्त कृषि भूमि पूर्व में वादी के दादा फतेहसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज थी तथा उनके फौत होने पर एवं वादी के दादा फतेहसिंह के फौत होने के कुछ समय पश्चात् ही वादी के पिता रघुनाथसिंह का भी देहान्त हो गया। इसलिए राजस्व कर्मचारी पटवारी हल्का आसरलाई द्वारा फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 405 जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 को उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के वादी का नाम भूल व गलती से भंवरसिंह पुत्र रूघनाथसिंह दर्ज कर दिया गया था। जो जरिये फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज किया गया था, जिसको दुरूस्त किया जाकर वादी का सही व वास्तविक नाम महिपालसिंह पुत्र रघुनाथसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त कर वादी को सही नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक होने से यह वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का पेश किया हैं। वादी का सही व वास्तविक नाम महिपालसिंह पुत्र रघुनाथसिंह होने बाबत् वादी का पहचान कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक एकाउन्ट आदि की फोटो स्टेट प्रतियां वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। वादी द्वारा अपनी उक्त कृषि आराजी पर ऋण लेने की आवश्यकता होने पर वादी ने पटवार हल्का आसरलाई से दिनांक 08/07/2016 को सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब सर्व प्रथम वादी को ज्ञान व ध्यान से आया कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड में भंवरसिंह पुत्र रूगनाथसिंह दर्ज हैं, जो गलत हैं। जिसको दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक वादी को अपने नाम का ध्यान होते ही वादी ने पटवार हल्का आसरलाई को राजस्व रेकर्ड में सही नाम इन्द्राज करने हेतु निवेदन किया, तो पटवार हल्का आसरलाई द्वारा कोर्ट आदेश से ही रेकर्ड दुरूस्ती की जाने बाबत् कहा व रेकर्ड दुरूस्त करने से स्पष्ट मना कर दिया। यदि वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज चलता रहा तो वादी को असीम क्षति होगी तथा वादी अपने जायज हक हकूकों से महरूम हो जायेगा एवं वादी अपनी आराजी का उपजाउ बनाने हेतु बैंक से ऋण नहीं ले सकेगा व राज्य एवं भारत सरकार द्वारा कृषि भूमि सम्बन्धी अन्य लाभ भी वादी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नहीं प्राप्त कर पायेगा। वादी को होने वाली क्षति की पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं होगी। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वाद बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत हैं। प्रतिवादी संख्या एक तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया हैं। बिनायवाद दिनांक 08/07/2016 को राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रति पटवारी हल्का आसरलाई से लेने एवं पटवारी हल्का आसरलाई को राजस्व रेकर्ड में सही नाम इन्द्राज करने हेतु निवेदन करने पर पटवारी हल्का आसरलाई द्वारा रेकर्ड दुरूस्त करने से स्पष्ट मना करने से बमुकाम-आसरलाई, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से वाद अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत हैं।

इस प्रकार वाद-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने तथा वादी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज भंवरसिंह पुत्र रुगनाथसिंह के स्थान पर वास्तविक नाम महिपालसिंह पुत्र रघुनाथसिंह दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी जबाबदावा एवं मौका रिपोर्ट पेश की, जो सा0मि0 हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद-पत्र के साक्ष्य सबूत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय-निमाज 12वीं मार्कशीट, राशन कार्ड संख्या 200001841406, पहचान पत्र संख्या RJ/21/159/336710, कार्यालय ग्राम पंचायत आसरलाई का प्रमाण पत्र की फोटो छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे वादी का सही नाम महिपालसिंह ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से भंवरसिंह पुत्र रुगनाथसिंह दर्ज नाम के स्थान पर महिपालसिंह पुत्र रघुनाथसिंह दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-आसरलाई, पटवार हल्का-आसरलाई, तहसील-जैतारण में कृषि आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 13-13 बीघा एवं खसरा नम्बर 163 रकबा 13-03 बीघा, कुल किता-2 कुल रकबा 26-16 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम भंवरसिंह पुत्र रुगनाथसिंह के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम महिपालसिंह पुत्र रघुनाथसिंह दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/12/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner